

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 109/31/0,

सं ० सं०-०५ / उ० नि० ब० (आवंटन) 18/2018

पटना, दिनांक ७.२.१९

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,
औरंगाबाद / कैमूर / रोहतास / बाँका / भागलपुर / गया / मधुबनी / नालन्दा / नवादा / पटना / सीवान

विषय :-

मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-००, लघुशीर्ष-103- हथकरघा उद्योग, मांग सं०-२३, उपशीर्ष-०१०३-हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड 23-2851001030103 के अंतर्गत विषय शीर्ष ०१०३.३१.०६-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के पुराने लूम को ६४ इंच या इससे अधिक चौड़ाई के फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) में परिवर्तित करने हेतु रु० 44,82,000/- (चौवालीस लाख बेरासी हजार) मात्र की राशि की स्वीकृति के आलोक में आवंटन।

. महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल राशि रु० 44,82,000/- (चौवालीस लाख बेरासी हजार) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-००, लघुशीर्ष-103-हथकरघा उद्योग, मांग सं०-२३, उपशीर्ष-०१०३-हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड 23-2851001030103 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-०१०३.३१.०६-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से विकलित होगा। विभिन्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को आवंटित राशि निम्न सारणी के अनुरूप है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	आवंटित राशि (रु०)
1	औरंगाबाद	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद	4,05,000
2	कैमूर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर	4,05,000
3	रोहतास	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास	4,05,000
4	बाँका	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बाँका	4,05,000
5	भागलपुर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर	4,05,000
6	गया	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया	4,32,000
7	मधुबनी	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी	4,05,000
8	नालन्दा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा	4,05,000
9	नवादा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा	4,05,000
10	पटना	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना	4,05,000
11	सीवान	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान	4,05,000
कुल योग			44,82,000

3

यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-830 दिनांक 06.02.19 के आलोक में दिया जा रहा है। इसके सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4

राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 विं(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5

राशि की निकासी विभिन्न संबंधित जिला कोषागारों से की जाएगी।

6

राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :—
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग—1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
लेखा, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 109 / 3110

प्रतिलिपि :— जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद / कैमूर/ रोहतास/ बाँका/ भागलपुर/ गया/ मधुबनी/ नालन्दा / नवादा/ पटना/ सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 7.2.19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 109 / 3110

प्रतिलिपि :— योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/ निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/ उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ ए०सी०—डी०सी० यू०सी० कोषांग, उद्योग विभाग/ प्रशाखा—०५, उद्योग निदेशालय/ उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा अर्ड०टी०मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई—मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 7.2.19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।